JALAUN POLICE

दिनांक – 21.04.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कान्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम– अभियुक्त रोहित टांक पुत्र संजय टांक नि0 सेक्टर 03 रोहणी जयपुर गोल्डन हास्पिटल के पास जेजे कॉलोनी थाना सेक्टर 03 नई दिल्ली द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहलाफुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ गलत कृत्य किया गया था जिसके संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली जालौन में दिनांक 23.07.2023 को मु0अ0सं0 269/2023 (वाद संख्या 137/23) धारा 363/366/376 भादवि ¾ पॉक्सो एक्ट बनाम अज्ञात के अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त रोहित टांक उपरोक्त को दिनांक 11.08.2023 को गिरफ्तार कर मान0 न्यायालय भेजा गया था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 16.09.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 21.04.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त रोहित टांक उपरोक्त को दोषी पाते हुये 20 वर्ष का कारावास एवं 40,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।